172132/2023

संख्याः1549/VII-3-23/01(23)-एम0एस0एम0ई0/2017

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/आयुक्त,
उद्योग विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 30 नवम्बर, 2023

विषयः– Missing Link योजना के अंतर्गत जनपद–पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बिण में मिनी औद्योगिक आस्थान के स्थलीय विकास कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1451/उ0नि0(पांच)–औ.आ.बिण(पिथौरागढ़)/बजट/2023–24, दिनांक 24.07.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद–पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बिण में मिनी औद्योगिक आस्थान के स्थलीय विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल द्वारा गठित एवं विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित आंगणन की कुल लागत रू0 113.74 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 113.74 लाख का 60 प्रतिशत के आधार पर लगभग रू0 68.25 लाख (रू0 अड़सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. प्रश्नगत परियोजना को इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जा रही है कि परियोजना को उपरोक्तानुसार स्वीकृत लागत में ही समयबद्धता एवं गुणवकता पूरक पूर्ण किया जायेगा एवं आंगणन का किसी भी दशा में पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
2. उपरोक्त प्रथम किश्त की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I-67149, दिनांक 29.09.2022 के कम में निर्गत की जा रही है। प्रथम किश्त की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अद्यतन भौतिक/वित्तीय प्रगति के साथ द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के दृष्टिगत निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
7. आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्रिडकुल, देहरादून पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

871
02/12/23

2/12

172132/2023

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
9. आंगणन गठित कराते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए, वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019 /XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण किया जायेगा एवं इस संबंध में कार्यदायी संस्था से अनुबंध करा लिया जायेगा। प्रश्नगत प्रयोजन के लिए पुनरीक्षित आंगणन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
12. आवंटित धनराशि का पूर्णतः उपयोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक प्रगति मय फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–007 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य, 800–अन्य भवन, 17–महत्वपूर्ण स्थापना कार्य, 53–वृहद निर्माण मद के नामे में डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या–I / 168176 / 2023, दिनांक 09 नवम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–अलाटमेंट आई0डी0–S23110070012 दिनांक 08 नवम्बर, 2023

भवदीय,
30/11/23
(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।
O/C

संख्या: 1549/ VII-3–23 / 01(23)–एम0एस0एम0ई0 / 2017 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), कौलागढ़, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
8. बजट अधिकारी साईबर कोषागार, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त व्यय नियंत्रण–2 / नियोजन विभाग / एन0आई0सी0।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्रिडकुल, देहरादून / पिथौरागढ़।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
30/11/23
(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।
O/C

प्रेषक,

देव कृष्ण तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

ई-पत्रावली संख्या-59949
संख्या:1111/ VII-3-24/01(23)-एम0एस0एम0ई0/2017

सेवा में,

महानिदेशक/आयुक्त,
उद्योग विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग   देहरादून: दिनांक: 19 नवम्बर, 2024

विषय:- **Missing Link** योजना के अंतर्गत जनपद-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बिण में मिनी औद्योगिक आस्थान के स्थलीय विकास कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3079/उ0नि0(6) मि0लिंक/2024-25, दिनांक 25.10.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बिण में मिनी औद्योगिक आस्थान के स्थलीय विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल द्वारा गठित एवं विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित आंगणन की कुल लागत रू0 113.74 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंतिम किश्त के रूप में रू0 113.74 लाख का 40 प्रतिशत के आधार पर रू0 45.49 लाख (रू0 पैंतालीस लाख उन्नचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत परियोजना को इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जा रही है कि परियोजना को उपरोक्तानुसार स्वीकृत लागत में ही समयबद्धता एवं गुणवत्ता पूरक पूर्ण किया जायेगा एवं आंगणन का किसी भी दशा में पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।

2. उपरोक्त अंतिम किश्त की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I-67149, दिनांक 29.09.2022 के क्रम में निर्गत की जा रही है।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

AD Sir (M) 21/11/24

4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के दृष्टिगत निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

600 20/11/24

7. आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्रिडकुल, देहरादून पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

9. व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त

JD(D) / AD (BPS) / for Dir. needful

विभाग के शासनादेश सं0-201358/09(150)2019/ XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए, वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 111469/09(150)2019 /XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण किया जायेगा एवं इस संबंध में कार्यदायी संस्था से अनुबंध करा लिया जायेगा। प्रश्नगत प्रयोजन के लिए पुनरीक्षित आंगणन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

12. आवंटित धनराशि का पूर्णतः उपयोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक प्रगति मय फोटोग्रापस शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य नवन, 17-महत्वपूर्ण स्थापना कार्य, 53-वृहद निर्माण मद के नामे में डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-I/252620/2024, दिनांक 08 नवम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- अलॉटमेंट आईडी-S24110070010 दिनांक 07 नवम्बर, 2024

भवदीय,

Signed by
Dew Krishna Tiwari
Date: 19-11-2024 14:51:13

(देव कृष्ण तिवारी)
अपर सचिव।

संख्या: ——/VII-3-24/01(23)-एम0एस0एम0ई0/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), कौलागढ़, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
8. बजट अधिकारी साईबर कोषागार, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त व्यय नियंत्रण-2/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्रिडकुल, देहरादून/पिथौरागढ़।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Shiv Shanker Mishra
Date: 19-11-2024 17:33:18

(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।